NARMADA GELATINES LIMITED

The Bombay Stock Exchange Ltd. November 22, 2025
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring, Ratunda Bldg.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai - 400 001

BSE Security Code: 526739
Sub: Newspaper Advertisement regarding the Notice of Postal Ballot and remote e-voting information

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations"), and further to our letter dated 21st November, 2025, we are enclosing herewith copies of the newspaper advertisement confirming dispatch of Notice of Postal Ballot of the Company, containing information on remote e-voting and other related information published in today i. e. on Saturday 22nd November, 2025 in Hitavada (English daily) and Deshbandhu (Hindi daily) newspaper.

The copies of the newspaper advertisements will also be available on the Company's website www.narmadagelatines.com .

We request you to kindly take the above in your records.

Thanking You,

Your's faithfully,
For Narmada Gelatines Limited

MAHIMA PATKAR Digitally signed by MAHIMA PATKAR Date: 2025.11.22 10:04:05 +05'30'

Mahima Patkar
Company Secretary

Encls: As above

BRIEFS

Low pressure may intensify into depression over Bay of Bengal: IMD

BHUBANESWAR, Nov 21 (PTI)

THE IMD on Friday forecast the likely formation of a low-pressure area over the South Andaman Sea, which could intensify into a depression over southeast Bay of Bengal around November 24.

"A low-pressure area is likely to form over South Andaman Sea on November 22 and thereafter, it is very likely to move west-northwestwards and intensify into a depression over southeast Bay of Bengal around November 24," it said in a bulletin.

Asked whether the system could take the form of a cyclone, Director of Bhubaneswar Meteorological Centre, Manorama Mohanty said the IMD has till now made the forecast of a depression.

"We will issue more information after the formation of a low-pressure area on November 22," she said.

Meanwhile, anticipating a fresh spell of rain in the State, farmers of coastal Odisha have started harvesting their paddy crop, which has almost turned mature.

However, the State's agriculture department was yet to issue any advisory for farmers, an official said.

Man held for buying baby girl in TN's Erode

ERODE (TN), Nov 21 (PTI)

A MAN was arrested for allegedly purchasing an infant girl in Erode district's Bhavani, police said on Friday.

Following a tip-off about the sale of a baby girl in Bhavani, the police reached the location and found Praveen Kumar (31) in possession of the child less than 10 days old. "He initially said that the baby was his, but he could not prove that to us. So, we detained him and took him to the police station along with the baby," said an official from Bhavani Police Station. During interrogation, the man confessed that the baby was sold to him by two women from Mumbai, identified as Shabana and Reshma. The women had come to Bhavani to handover the baby, said the police, who are on a lookout for them.

The child has been handed over to the District Child Welfare Committee. "We have filed a case against the three under Section 8 and 81 of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, which penalises the sale and procurement of

Families continue to protest Delhi student's suicide outside school

NEW DELHI, Nov 21 (PTI)

FAMILIES and friends of a Class 10 student who died by suicide staged a protest outside St Columba's School on Friday, accusing some teachers of mentally harassing him and demanding strict action from the authorities.

The protesters asserted that the school must be held accountable and urged the Government to strengthen mental health safeguards for students. A family friend of the deceased student's parent, Archana, said that the protesters were seeking more than just suspension, emphasising that strong action should be taken against both the teachers and the school management.

India, Sri Lanka hold talks on deepening defence ties

PATNA, Nov 21 (IANS)

INDIA and Sri Lanka held the 11th Army-to-Army Staff Talks (AAST) in Bihar's Bodhgaya, identifying key areas to boost interoperability and deepening the broader defence partnership.

The two sides reaffirmed commitment to a strong bilateral ties in promoting regional peace and stability.

"11th India-Sri Lanka Army-to-Army Staff Talks, AAST was held in Bodhgaya from 18 to 20 November 2025. The six-member delegation from Sri Lanka was led by Major General Ravi Pathiravithana, Director General Staff. Discussions focused on strengthening bilateral defence cooperation, identifying key areas to boost interoperability and deepening the broader defence partnership, while reaffirming the commitment to a strong India-Sri Lanka relationship in promoting regional peace and stability," Additional Directorate General of Public Information (ADGPI) posted on X.

Meanwhile, the Indian Army and Sri Lankan Army are currently participating in the 11th edition of Exercise 'Mitra Shakti' in Karnataka's Belagavi. In a statement, Indian Army noted that the exercise, being held from November 10 to 23, reaffirms shared

commitment of two nations to regional peace and security.

The Indian contingent comprising 170 personnel, is being represented mainly by troops from the Rajput Regiment while the Sri Lankan side is being represented by 135 personnel represented mainly by troops from the Gajaba Regiment. 20 personnel from Indian Air Force and 10 personnel from Sri Lankan Air Force are also participating in the exercise.

In a statement shared on X, ADGPI stated, "Exercise Mitra Shakti 2025. The 11th edition of the annual Indo-Sri Lanka Exercise Mitra Shakti with the Sri Lanka Army is going on in full swing at Foreign Training Node, Belagavi. Both contingents are showcasing seamless coordination and operational proficiency while executing joint drills across urban and semi-urban terrain. The exercise reaffirms the shared commitment of India and Sri Lanka to regional peace and security, while further deepening Defence Cooperation, camaraderie and building bonds between the two Armies."

The exercise involves employment of drones and counter unmanned aerial systems besides helicopters. Drills to secure helipads and undertake casualty evacuation during counter-terrorist operations will also be rehearsed jointly by both sides. Collective efforts will focus on achieving an enhanced level of interoperability amongst the troops and reduce the risk of life and property while keeping the interests and agenda of the UN at the forefront during peace keeping operations.

The two forces will exchange views and practices of joint drills on a wide spectrum of combat skills that will facilitate the participants to mutually learn from each other. Sharing of best practices will further enhance the level of defence cooperation between Indian Army and Sri Lankan Army. The exercise will also foster strong bilateral relations between the two neighbouring nations.

W Bengal CM shielding 'illegal vote-bank': BJP's Suvendu

KOLKATA, Nov 21 (PTI)

RATCHETING up the political temperature around the SIR, senior BJP leader Suvendu Adhikari has written to CEC Gyanesh Kumar, accusing West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee of trying to "undermine" the Election Commission and "shield an illicit vote-bank" her party has "nurtured for years".

Adhikari's letter to the CEC came hours after Banerjee's communication to the poll panel on Thursday in which she slammed the special intensive revision (SIR) of electoral rolls as "chaotic and coercive".

The Leader of the Opposition in the Assembly hit back late on Thursday with a four-page counter, calling her missive to the EC "misleading, politically motivated and factually distorted".

He dubbed the CM's objections as nothing less than "a desperate attempt to derail a clean-up drive that threatens her political ecosystem".

"The Chief Minister's letter is a calculated attempt to sow discord among election officials, discredit the ECI's constitutional mandate and protect a vote-bank of ineligible and illegal elements her Government has nurtured for years," Adhikari asserted.

In a characteristic combative tone, he accused Banerjee of "intimidating" booth level officers and making "unacceptable insinuations" against the CEC.

"Such conduct from the head of a State Government must be condemned," Adhikari said.

He dismissed Banerjee's portrayal of the SIR as a "chaotic and disruptive" initiative, arguing that similar revision drives have been "part of the ECI's toolkit since the 1950s," including the extensive exercise in 2002-03.

"The Hon'ble CM herself contested and won the 2004 Lok Sabha polls based on rolls revised in 2003. Will she now question the legitimacy of her own victory?" the BJP leader said in the letter to Kumar.

Pressing his long-standing charge of large-scale discrepancies in Bengal's voter lists, Adhikari said the current SIR was essential to "weed out lakhs of bogus entries," claiming multiple enrolments, dead voters and forged documents.

Protest over Manipur's Sangai festival turns violent

Demonstrators clash with security forces

IMPHAL, Nov 21 (PTI)

PEOPLE demonstrating against the Sangai festival clashed with security forces in Manipur's Imphal East district on Friday, amid a 'cease work' called by the Meitei group COCOMI.

The Coordinating Committee on Manipur Integrity (COCOMI) has been opposing the tourism festival by the State Government, stating that organising such an event amid the crisis being faced by families displaced by the ethnic violence was "highly insensitive". The clash happened at Khurai Lamlong when security forces intercepted demonstrators, including several displaced persons, who were marching towards the venue of the festival, an official said.

The demonstrators hurled stones at the forces, forcing them to lob several rounds of tear gas shells, he said.

Demonstrators claimed that some of them sustained minor injuries as a result of the clash.

The 'cease work', effectively a shutdown, affected normal life in the Imphal Valley districts, with markets and other commercial establishments remaining closed since the morning.

Public vehicles remained off the road, and classes were suspended at all schools and colleges in these districts.

Manipur has been under the President's Rule since February after CM N Biren Singh, who led a BJP Government, resigned amid criticism of his administration's handling of the ethnic violence.

New Nitish Kumar cabinet full of criminals, alleges PK

Prashant Kishor addresses the media after his day-long silent fast, in West Champaran district, Bihar, on Friday. (PTI)

BETTIAH, Nov 21 (PTI)

JAN Suraaj Party founder Prashant Kishor on Friday alleged that the new cabinet of the Nitish Kumar Government in Bihar was full of corrupt and criminal leaders.

Speaking to reporters after a day-long silent fast at Gandhi Ashram in West Champaran, Kishor also said his party will launch the 'Bihar Navnirman Sankalp Yatra' on January 15, during which Jan Suraaj Party workers will visit all houses in the State.

"The new cabinet of Nitish Kumar, which took oath on Thursday, is full of corrupts and criminals. I must say that this council of ministers is a slap in the face of the people of Bihar. It's like rubbing salt on the wound as several corrupt leaders were inducted," he alleged, days after drubbing in the recently held Assembly elections in the State.

Kishor claimed the leaders inducted into the cabinet indicate that Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and CM Kumar are least concerned about Bihar.

"They have purchased votes by transferring Rs 10,000 into the bank account of more than 1 crore women. Now, they have no concern for the State or the people," he alleged.

"If I am saying anything wrong, the State Government can put me behind bars," he added. Kishor claimed the Government diverted funds from the State's contingency fund and a grant from the World Bank for the cash transfer scheme. "Now, we will ensure that women get Rs 2 lakh as promised by the NDA ahead of the polls," he said.

Kishore said as part of the 'Bihar Navnirman Sankalp Yatra', Jan Suraaj Party workers, including him, will visit every house in the State.

"We will visit all houses in the State over 15-18 months and create awareness among the people about the misdeeds of this Government. The organisation of the Jan Suraaj Party will be strengthened before the campaign starts," he said.

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath interacts with child artists during the 26th International Conference of Chief Justices of the World, in Lucknow on Friday. (PTI)

NARMADA GELATINES LIMITED

Regd. Office : CARAVS, Room No 28, 15, Civil Lines, Jabalpur – 482001,
CIN : L24111MP1961PLC016023
Tel:0761-2830433, Fax :2830516
Email : ngljbp@rediffmail.com website:www.narmadagelatines.com

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given to the Members of Narmada Gelatines Limited ("the Company"), pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 including any statutory modification(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA"), Government of India, for holding general meetings/ conducting postal ballot process through remote e-voting vide General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020, read with relevant circulars, including General Circular No. 03/2025 dated 22 September, 2025 and any other applicable laws, rules and regulations, the Special Resolution set out below is proposed for consideration by the members of Narmada Gelatines Limited (the "Company") for seeking the approval of the Members of the Company to transact the business as set out below and as contained in postal ballot notice dated 19th November, 2025 through Postal Ballot by way of voting through electronic means ("remote e-voting") only.

Description of Resolution	Type of Resolution
Continuation of Mr. Kailasam Krishnamoorthy (DIN No: 02797916) as Non-Executive, Independent Director of the company beyond the age of 75 years	Special

In compliance with the above mentioned provisions, the Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement has been e-mailed on Friday 21st November, 2025 to those members whose names appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners and whose e-mail ids are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent i.e.; CB Management Services (P) Ltd. ("RTA")/Depositories viz. National Securities Depository Limited ("NSDL")/Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as on Friday, 14th November, 2025 ("Cut-off date").

The Postal Ballot Notice will also be available on the Company's website at www.narmadagelatines.com , website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at https://www.evotingindia.com.

In accordance with the provisions of the MCA circulars, the physical copy of the Notice along with the Postal Ballot Form and the pre-paid business reply envelope are not sent to the members for this Postal Ballot and member can vote through remote e-voting.

REMOTE E-VOTING INFORMATION

The Company has engaged the services of CDSL for providing remote e-voting facilities to the Members, enabling them to cast their vote electronically and in a secure manner. The detailed procedure for casting of votes through remote e-voting has been provided in the notice.

The remote e-voting facility would be available during the following period:

Commencement of Remote e-voting:Tuesday, November 25, 2025 at 9:00 a.m. (IST)

End of Remote e-voting:Wednesday, December 24, 2025 at 5:00 p.m. (IST)

Members are requested to record their assent (FOR), or dissent (AGAINST) through the remote e-voting process not later than 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, December 24, 2025. Remote e-voting will be blocked by CDSL immediately thereafter and will not allowed beyond the aforesaid date and time. During this period, members of the Company holding shares either in physical or electronic form, as on the cut-off date i.e.; Friday 14th November, 2025 shall cast their vote electronically. The voting rights of the members shall be reckoned on the basis of equity shares of the Company held by them as on the cut-off date. Once the vote on the resolution is cast by the Member, the Member shall not be able to change it subsequently. Any person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information only.

Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register the same in respect of the shares held by them in electronic form with the Depository through Depository Participant and in respect of shares held in physical form by writing to Company ngljbp@rediffmail.com at RTA at rta@cbmsl.co.

The Board of Directors has appointed Mr. Tapan Badkul, Practicing Cost and Management Accountant (FCA 23394) Proprietor, M/s. Tapan Badkul & Associate, Practicing Cost Accountant, as the 'Scrutinizer' to scrutinize the Postal Ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The Resolution, if approved by requisite majority, will be deemed to have been passed on the last date of e-voting i.e. Wednesday, December 24, 2025 as if they have been passed at a General Meeting of the Shareholders. The results of e-voting conducted through Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will be announced on or before Friday, 26th December, 2025. The same shall be displayed on the website of the Company at www.narmadagelatines.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and website of CDSL at https://www.evotingindia.com.

In case of any queries/grievances, you may write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.

Place: Jabalpur
Date: 21st November, 2025

By Order of the Board of Directors,
For Narmada Gelatines Limited,
Sd/-
Mahima Patkar
Company Secretary

Legacy

देश-विदेश

भारत-ऑस्ट्रेलिया रिश्तों में नई उड़ान, बड़े सहयोग की तैयारी

नई दिल्ली। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने आने वाले वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ने वाले खेल, व्यापार, खनिज और रणनीतिक सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल, व्यापार, खनिज, सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग कई गुना बढ़ने वाला है। ग्रीन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया 2032 के ओलंपिक (ब्रिस्बेन) की मेजबानी करेगा और संभावना है कि भारत भी 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। ऐसे में दोनों देशों के बीच खेल क्षेत्र में बड़े सहयोग के अवसर हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खेल अब बड़ा बिजनेस है और ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है।

निविदा/नियुक्ति/जाहिरात

In The Court of XVIII, Civil Judge Class-I, District Court, Jabalpur
presiding Officer: पंकज सविता
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्रं.
(MJC SUC/ 0000140/2025)
रेहाना खान............आवेदक
Vs
ललिता कदम .....अनावेदक
Process Id-/2025
पेशी दि.:-22/12/2025

प्रेषिती-
(1) आम जनता पता- जबलपुर म.प्र.
(2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक रेहाना खान पता ने मृतक स्व. श्री द्वारका प्रसाद कदम निवासी- अधारताल, जबलपुर (म.प्र.) की भारतीय स्टेट बैंक शाखा गढ़ा खाता क्रं. 33057940068 में 5,00,000/- रूपये राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक / संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 22 दिसम्बर 2025 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/ संरक्षक होने सम्बंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 22 दिसम्बर 2025 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 21 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।
न्यायालय की मुद्रा
टिप्पणी- प्रकाशन एवं उपस्थिति हेतु नोटिस के साथ आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की छायाप्रति संलग्न
कृपया ध्यान दें- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

(पंकज सविता)
अठारहवां व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)
जबलपुर (म.प्र.)
र.नं. 2659

In The Court of XXVII Civil Judge Class-I, District Court, Jabalpur
Presiding Officer: श्वेता खरे
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्रमांक
(MJC SUC/ 0000128/ 2025)
मनीष कुमार जैन ....आवेदक
Vs
आम जनता .... अनावेदक
Process Id-2025
पेशी दिनांक 08/01/2026

प्रेषिती
(1) आम जनता पता- जबलपुर मध्यप्रदेश
(2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मनीष कुमार जैन पता- एफ-9 हाथीताल कालोनी पोस्ट आफिस के पास जबलपुर (म.प्र.) ने मृतक स्व. राजकुमार जैन निवासी एफ-9 हाथीताल कालोनी जबलपुर (म.प्र.) की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेम्बर थर्ड फ्लोर IV 222 नरीमन पाइंट मुंबई में जमा संपूर्ण शेयर राशि राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/ संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 08 जनवरी 2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/ संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 08 जनवरी 2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 14 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।
न्यायालय की मुद्रा
टिप्पणी- उपस्थिति एवं प्रकाशन नोटिस के साथ आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925
कृपया ध्यान दें- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

(श्वेता खरे)
सत्ताईवें व्यवहार न्यायाधीश
(वरिष्ठ खण्ड)जबलपुर (म.प्र)
कृति

बिहार सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा

भाजपा के सम्राट चौधरी को मिला गृह विभाग

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार छोड़ा गृह विभाग

पटना, देशबन्धु। बिहार में दसवीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया है । मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री श्री कुमार ने सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय , निगरानी , निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है, अपने पास रखे हैं।

श्री कुमार ने भाजपा नेता सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेवारी दी है। काफी लंबे समय से यह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था। श्री कुमार ने भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा को राजस्व एवं भूमि सुधार तथा खान एवं भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री ने जनता दल यूनाईटेड (जदयू) नेता विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, योजना एवं विकास, मध निषेध, उत्पाद, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, वित्त और वाणिज्य कर की जिम्मेवारी दी है। वित्त विभाग पूर्व में सम्राट चौधरी के पास था। जनता दल यूनाईटेड (जदयू) नेता श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। इसी तरह भाजपा नेता मंगल पांडेय को स्वास्थ्य और विधि विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। श्री पांडेय के पास पहले भी यही विभाग था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. दिलीप जायसवाल को उधोग विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। ज्यादातर बड़े विभागों की जिम्मेदारी भाजपा नेताओं को दी गई है।

अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग-जदयू नेता अशोक चौधरी को पहले की तरह इस बार भी ग्रामीण कार्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। इसी तरह जदयू नेता लेसी सिंह को भी पिछले कैबिनेट की तरह खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है। भाजपा नेता नितिन नवीन को पथ निर्माण एवं नगर विकास तथा आवास, जदयू नेता मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग, भाजपा नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री राम कृपाल यादव को कृषि , केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) नेता संतोष कुमार सुमन को लघु एवं जल संसाधन , जदयू नेता सुनील कुमार को शिक्षा तथा विज्ञान , प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गयी है।जदयू नेता मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सौंपा गया है।

- दिलीप जायसवाल को उधोग विभाग मिला
- विजय कुमार चौधरी को मिला वित्त विभाग
- ज्यादातर बड़े विभाग भाजपा नेताओं के पास

इसी तरह भाजपा के कोटे से संजय सिंह टाइगर को श्रम संसाधन, अरूण शंकर प्रसाद को पर्यटन और कला संस्कृति तथा युवा विभाग,सुरेन्द्र मेहता को पशु एवं मत्सय संसाधन, नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग,पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग,लखेन्द्र कुमार रौशन को अनुसूचित जाति एवं अनूसचित जनजाति कल्याण विभाग,पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिवंगत दिग्विजय सिंह की पुत्री श्रेयसी सिंह को सूचना प्रावैधिकी एवं खेल विभाग, डा. प्रमोद कुमार को सहकारिता , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेवारी दी गयी है।

दीपक प्रकाश को पंचायती राज का जिम्मा-इसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) नेता संजय कुमार को गन्ना उद्योग और संजय कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का जिम्मेदारी दी गई है, वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के नेता दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है।

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा

नई दिल्ली, (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ दायर केरल सरकार की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। केरल और अन्य की याचिकाओं में केरल में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई 26 नवंबर तय की है। केरल में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसलिए राज्य सरकार ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को स्थगित करने की मांग वाली याचिका दायर की थी। याचिका में केरल सरकार ने कहा था कि कर्मचारियों की कमी के कारण चुनाव के साथ एसआईआर करवाने से दिक्कतें बढ़ रही हैं। जब संवैधानिक चुनाव चल रहे हों, तो बेकार में जल्दबाजी करके सत्यापन की गुणवत्ता को कम करना, मताधिकार के लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ है। केरल के अलावा तमिलनाडु और बंगाल भी एसआईआर के खिलाफ याचिका लगा चुके हैं। इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईआर के खिलाफ अब तक 10 याचिकाएं लग चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में चल रही इसी प्रक्रिया को कांग्रेस के बाराबंकी से सांसद तनुज पूनिया ने चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची को प्रभावित करने और चुनावी निष्पक्षता पर संदेह पैदा करने वाली है।

- 26 नवम्बर को होगी इस पर अगली सुनवाई

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
कटनी मुख्य शाखा, यातायात थाना के पास, बरही रोड, कटनी– 483501

लॉकर धारकों के लिए सूचना

एतद् द्वारा शाखा के निम्न लॉकर धारकों को सूचित किया जाता है कि उनके नाम के समक्ष लिखे गये दिनांक से लॉकर किराया जमा नहीं किया गया है। शाखा में उपलब्ध पते पर पंजीकृत डाक/स्वयं बैंक कर्मचारी से स्मरण पत्र भेजने के उपरांत भी बकाया किराया जमा नहीं किया गया है। लॉकर किराया अनुबंध के अनुसार किराया जमा नहीं करने पर नियमानुसार बैंक द्वारा लॉकर तुड़वा कर खोला जायेगा तथा उसमें रखी संपत्ति या उसके भाग को बेचकर बकाया राशि की वसूली की जावेगी।

अतः संबंधित लॉकर धारक इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिन के अन्दर बकाया लॉकर किराया जमा कराये अन्यथा बैंक संदर्भित लॉकर को दिनांक 28/11/2025 को या उसके बाद तोड़कर खोलने के लिए स्वतंत्र रहेगा। इस प्रक्रिया में होने वाला व्यय भी लॉकर धारक को वहन करना होगा।

कटनी मुख्य शाखा, यातायात थाना के पास, बरही रोड, कटनी– 483501

लॉकर नं.	लॉकर धारक का नाम एवं पता	तारीख से बकाया	राशि
1972AX0005	श्री प्रकाश आहूजा, जय प्रकाश वार्ड, नई बस्ती, कटनी (म.प्र.)– 483501	18-07-2021	17200/-

दिनांक: 22/11/2025 शाखा प्रबन्धक

NARMADA GELATINES LIMITED
Regd. Office : CARAVS, Room No 28, 15, Civil Lines, Jabalpur - 482001,
CIN : L24111MP1961PLC016023
Tel:0761-2830433, Fax :2830516
Email : ngljbp@rediffmail.com website:www.narmadagelatines.com

पोस्टल बैलेट नोटिस और ई-वोटिंग जानकारी

नर्मदा जिलेटिन लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और 110 के प्रावधानों के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक 2, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियम 44 जिसमें किसी भी वैधानिक संशोधन, स्पष्टीकरण, प्रतिस्थापन या पुनः अधिनियमन शामिल हैं, के अनुसार नोटिस दिया जाता है। भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा सामान्य बैठकें आयोजित करने / दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र प्रक्रिया आयोजित करने के लिए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 17/2020 के अनुसार दिनांक 13 अप्रैल, 2020 को संबंधित परिपत्रों के साथ पढ़ें, जिसमें सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 और किसी भी अन्य लागू कानून, नियम और विनियमन शामिल हैं, नीचे दिए गए विशेष प्रस्ताव को नर्मदा जिलेटिन्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों द्वारा विचार के लिए प्रस्तावित किया गया है, ताकि कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जा सके, जैसा कि नीचे दिए गए हैं और जैसा कि 19 नवंबर, 2025 के पोस्टल बैलेट नोटिस में निहित है, केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान ("रिमोट ई-वोटिंग") द्वारा पोस्टल बैलेट के जरिए।

रिज़ॉल्यूशन का विवरण	रिज़ॉल्यूशन का प्रकार
श्री कैलाशम कृष्णमूर्ति (DIN नंबर: 02797916) का 75 साल की उम्र के बाद कंपनी के नॉन-एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर बने रहना	स्पेशल

ऊपर बताए गए नियमों के मुताबिक, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ पोस्टल बैलेट नोटिस शुक्रवार 21 नवंबर, 2025 को उन मेंबर्स को ई-मेल किया गया है, जिनके नाम मेंबर्स के रजिस्टर/बेनिफिशियल ओनर्स की लिस्ट में थे और जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के पास रजिस्टर्ड हैं, यानी; CB मैनेजमेंट सर्विसेज़ (P) लिमिटेड ("RTA")/डिपॉज़िटरीज़ जैसे नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड ("NSDL") / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड ("CDSL") शुक्रवार, 14 नवंबर, 2025 ("कट-ऑफ डेट") तक।

पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.narmadagelatines.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("CDSL") की वेबसाइट https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगा।

MCA सर्कुलर के नियमों के अनुसार, इस पोस्टल बैलेट के लिए सदस्यों को नोटिस की फिजिकल कॉपी, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफा नहीं भेजा जाता है और सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के ज़रिए वोट कर सकते हैं।

रिमोटई-वोटिंग जानकारी

कंपनी ने मेंबर्स को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा देने के लिए CDSL की सर्विस ली है, ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से और सुरक्षित तरीके से अपना वोट डाल सकें। रिमोट ई-वोटिंग से वोट डालने का पूरा प्रोसेस नोटिस में दिया गया है।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा इस समय के दौरान उपलब्ध होगी:
रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तारीख: : मंगलवार, 25 नवंबर, 2025 सुबह 9.00 बजे (IST)
रिमोट ई-वोटिंग खत्म होने की तारीख: : बुधवार, 24 दिसंबर, 2025 शाम 5.00 बजे (IST)

मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वे बुधवार, 24 दिसंबर, 2025 को शाम 5.00 बजे (IST) तक रिमोट ई-वोटिंग प्रोसेस के ज़रिए अपनी मंज़ूरी (FOR) या असहमति (AGAINST) दर्ज करें। इसके तुरंत बाद CDSL रिमोट ई-वोटिंग को ब्लॉक कर देगा और बताई गई तारीख और समय के बाद इसकी इजाज़त नहीं देगा। इस समय के दौरान, कंपनी के वे मेंबर्स जिनके पास कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार 14 नवंबर, 2025 को फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डालेंगे। मेंबर्स के वोटिंग राइट्स की गिनती कट ऑफ डेट पर उनके पास मौजूद कंपनी के इक्विटी शेयर्स के आधार पर की जाएगी। एक बार जब मेंबर रेज़ोल्यूशन पर वोट डाल देता है, तो मेंबर बाद में उसे बदल नहीं पाएगा। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ डेट पर मेंबर नहीं है, उसे पोस्टल बैलेट नोटिस को सिर्फ़ जानकारी के लिए लेना चाहिए।

जिन मेंबर्स ने अपने ई-मेल एड्रेस रजिस्टर नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वे अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे गए शेयर्स के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के ज़रिए डिपॉजिटरी में और फिजिकल फॉर्म में रखे गए शेयर्स के लिए कंपनी ngljbp@rediffmail.com पर RTA rta@cbmsl.co पर लिखकर रजिस्टर करें।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिस्टर तपन बडकुल, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (FCA 23394) के प्रोपराइटर, मेसर्स तपन बडकुल एंड एसोसिएट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट को 'स्क्रूटिनाइज़र' अपॉइंट किया है, जो पोस्टल बैलेट की रिमोट ई-वोटिंग प्रोसेस के ज़रिए फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से स्क्रूटिनी करेंगे।

अगर रेज़ोल्यूशन को ज़रूरी मेजॉरिटी से मंज़ूरी मिल जाती है, तो इसे ई-वोटिंग की आखिरी तारीख यानी बुधवार, 24 दिसंबर, 2025 को पास माना जाएगा, जैसे कि इसे शेयरहोल्डर्स की जनरल मीटिंग में पास किया गया हो। पोस्टल बैलेट से हुई ई-वोटिंग के नतीजे, स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ, शुक्रवार, 26 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। इसे कंपनी की वेबसाइट www.narmadagelatines.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE Limited की वेबसाइट www.bseindia.com और CDSL की वेबसाइट https://www.evotingindia.com पर दिखाया जाएगा।किसी भी सवाल/शिकायत के लिए, आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार,
नर्मदा जिलेटिन्स लिमिटेड

स्थान: जबलपुर
दिनांक: 21 नवंबर, 2025

हस्ताक्षर
महिमा पाटकार
कंपनी सचिव

गुजरात में बीएलओ ने की आत्महत्या

सुसाइड नोट में एसआईआर को ठहराया दोषी

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में एक शिक्षक ने शुक्रवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। शिक्षक को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के तौर पर नियुक्त किया गया था। परिवार ने दावा किया कि शिक्षक ने कथित सुसाइड नोट में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की वजह दबाव और मानसिक तनाव के चलते यह कदम उठाया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिक्षक अरविंद वढेर कोडिनार तालुका के देवली गांव के रहने थे और सुबह साढ़े छह बजे अपने घर पर ही फांसी के फंदे से लटके पाए गए। वढेर कोडिनार के छारा गांव में प्राइमरी स्कूल में तैनात थे।

In The Court of IX Civil Judge Class-I, District Court, Jabalpur
Presiding Officer: द्वारिका प्रसाद सूत्रकार
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCS A/ 0001358/ 2025)
शकीला बानो उर्फ नजमा बेगम...............वादी
Vs
आम जनता ..... प्रतिवादी
Process Id-2025
पेशी दिनांक 18/12/2025

प्रेषिती
(1) आम जनता पता-जबलपुर म.प्र.

यह कि प्रार्थी श्रीमती शकीला बानो उर्फ नजमा बेगम ने आपके विरूद्ध आरसीएसए प्रकाशन हेतु नोटिस के साथ वाद पत्र वास्ते दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होने की घोषणा बावत के लिए वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो ऐसे सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।
यह आज तारीख 18 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
न्यायालय की मुद्रा
टिप्पणी- प्रकाशन हेतु नोटिस के साथ वाद वास्ते दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होने की घोषणा बावत का मूल्यांकन 1000 रूपये एवं उस पर उचित न्याय शुल्क 500 रूपये चस्पा की छायाप्रति संलग्न है।
कृपया ध्यान दें:
1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

(डी.पी. सूत्रकार)
नवम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)
र.नं. 2658 जबलपुर (म.प्र)

फैसलाबाद की फैक्ट्री में भीषण बायलर ब्लास्ट, 14 की मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में फैसलाबाद शहर के मलिकपुर इलाके में आज एक केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। शुक्रवार 21 नवंबर को एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण बॉयलर ब्लास्ट हो गया। यह धमाका तड़के सुबह हुआ, जिससे न सिर्फ फैक्ट्री में आग लग गई, बल्कि वो ढह भी गई।

प्रथम पृष्ठ का शेष

2025 तक देश ....

मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले चार वर्षों में यह आंकड़ा एक लाख से अधिक था। दिल्ली में 2024 में 1,05,343, 2023 में 1,00,523, 2022 में 1,06,731, 2021 में 1,03,038 और 2020 में 86,842 मामले सामने आए थे।

आरटीआई के अनुसार महाराष्ट्र में भी टीबी रोगियों की संख्या पिछले पांच वर्षों में कभी डेढ़ लाख से कम नहीं रही। महाराष्ट्र में जून 2025 तक 1,15,303, 2024 में 2,30,163, 2023 में 2,27,664, 2022 में 2,34,105, 2021 में 1,99,976 और 2020 में 1,59,663 मामले सामने आए थे। उपलब्ध सूचना के अनुसार, टीबी से सबसे कम प्रभावित क्षेत्रों में लक्षद्वीप सबसे आगे है, जहां जून 2025 तक सिर्फ नौ मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित 'पल्मनोलॉजी रीजेंसी हॉस्पिटल' के कंसल्टेंट डॉ. आमिर नदीम ने एजेंसी को बताया, टीबी की समय पर पहचान और उपचार न मिले तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। टीबी पूरी तरह ठीक की जा सकती है, बशर्ते मरीज नियमित उपचार करे और बीच में दवाइयां न छोड़े। सरकार की 'निक्षय पोषण योजना', मुफ्त दवा और इलाज की सुविधाओं ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है।

IDBI BANK
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्पलेक्स, कफ परेड, मुम्बई, वेबसाईड: www.idbi.com
शाखा का पता: आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, जबलपुर, मध्यप्रदेश, 'त्रिलोक' ग्राउंड फ्लोर, सूर्या होटल के सामने, राईट टाउन, जबलपुर, मध्यप्रदेश पिन: 482002

अचल संपत्ति के लिए कब्जे की सूचना नियम 8(1)

अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुये वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 की 54) की धारा 13(12) सपठित नियम 3 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग नोटिस दिनांक 31/07/2025 को उधारकर्ता सुश्री साधना दुबे (उधारकर्ता एवं बंधककर्ता), श्रीमति हृदयावती दुबे (सह–उधारकर्ता), को नोटिस में उल्लिखित रू. 22,22,662.98/– (रूपये बाइस लाख बाइस हजार छः सौ बासठ एवं अठ्ठानवे पैसे मात्र) 60 दिनों की समयावधि में भुगतान करने हेतु नोटिस दिया गया था चूँकि उक्त उधारकर्ता/बंधककर्ता/जमानतदार उल्लेखित राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं। अतः खासतौर पर उक्त उधारकर्ता/बंधककर्ता/जमानतदार को और सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूती हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 13 की उपधारा (4) में निहित अधिकारों के प्रत्यायोजन स्वरूप नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर दिनांक 18 नवम्बर 2025 को कब्जा ले लिया है। एतद् द्वारा उधारकर्ता/बंधककर्ता/जमानतदार को विशेष एवं जन साधारण को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है उक्त संपत्ति विषयक में कोई संव्यवहार न करें एवं इस सम्पत्ति पर किया गया कोई भी व्यवहार राशि रू. 22,22,662.98/– (रूपये बाइस लाख बाइस हजार छः सौ बासठ एवं अठ्ठानवे पैसे मात्र) एवं उस पर देय ब्याज हेतु आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के अधीन रहेगी। उधारकर्ता/बंधककर्ता/जमानतदार को एक्ट की धारा 13 एवं उपधारा 8 के प्रावधान के अन्तर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन में उपलब्ध समय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति का समस्त भू–भाग जो निम्नविवरण में शामिल है प्लॉट क्रमांक ए–1 पर निर्मित ब्लॉक क्रमांक ए–1 क्षेत्रफल 1325 वर्गफीट 42957 वर्गफीट में से, सुपर बिल्ट अप एरिया (जीएफ +एफएफ कुल 1211 वर्गफीट), न्यू साहिब परिसर फेज–2, मौजा– अमखेरा में स्थित है, जो कि खसरा क्रमांक 252, नया खसरा क्रमांक 252/1 वाली सम्पर्ण भूमी का एक भाग या हिस्सा हैं पी.एच.संख्या–22/24, एनबी नंबर–04 एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड नंबर–74, आर.एन.एम.– जबलपुर, तहसील –पनागर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश (सुश्री साधना दुबे के नाम पर), **जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं– पूर्वः** श्री विश्वकर्मा जी का मकान, **पश्चिम** : मार्ग/बगल की सडक, **उत्तरः** विश्वकर्मा जी का मकान, **दक्षिणः** सडक।
उस पर मौजूद वर्तमान और भविष्य की सभी एवं प्रथक–प्रथक संरचनायें और निर्माण दोनों साथ–साथ शामिल हैं।

स्थानः जबलपुर, दिनांक : 22/11/2025 प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक

मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड (सुरक्षित और असुरक्षित ऋण व्यवसाय प्रभाग)
muthoot FINCORP Jab zindagi badalni ho
(मुथूट पप्पाचन समूह की कंपनी) CIN : U65929KL1997PLCO11518
प्रशासनिक कार्यालय : 710-ए एवं 711-ए, सातवीं मंजिल, फेस-2, स्पेंसर प्लाजा, माउंट रोड़, अन्ना सलाई, चेन्नई-600 002
पंजीकृत कार्यालय : मुथूट सेन्टर, टीसी नं. 27/3022, पुन्नेन रोड़, त्रिवेन्द्रम, केरला - 695 001

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, **मुथूट फिनकार्प लिमिटेड (एमएफएल)** के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनःनिर्माण तथा प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थी, जिनमें निम्नलिखित कर्जदार(रों), ग्यारंटर(रों) से संपूर्ण बकाया राशि, अद्यतन ब्याज, लागत और प्रभारों के साथ, उनको जारी की गई संबंधित मांग सूचना(ओं) और वैकल्पिक तामील के लिए नीचे दिए अनुसार सूचना प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने हेतू, कम्पनी के प्रति उनकी पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन की मांग की गई थी। उक्त कर्जदार(रों), सह-कर्जदार(रों) द्वारा ऋण की सम्यक वापसी के लिए प्रतिभूमि के रुप में क्रमशः निम्नलिखित आस्तियां **एमएफएल** के पास बंधक रखी गई है।

क्रं.	ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार का नाम	मांग सूचना कि तिथि / एनपीए तिथि	कुल बकाया राशि	सुरक्षित संपत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति (यों) का विवरण
1.	ऋण खाता संख्या MFLMPDSECUL000005157474 श्री इरफ़ान अहमद (उधारकर्ता) श्री इस्तेयाक अहमद (सह-उधारकर्ता) श्रीमती हिना चिश्ती (सह-उधारकर्ता) सभी रेजिडेंशियल और प्रॉपर्टी का पता : हाउस नंबर 308 पुत्री शाला स्कूल कटनी मध्य प्रदेश पिन कोड 483501	11.11.2025 / 03.11.2025	रु. 97,40,535.18/- (रुपये सत्तानवे लाख चालीस हज़ार पाँच सौ पैंतीस और अठारह पैसे सिर्फ़) 11.11.2025 तक	भूमि मौजा मुरवारा, पी.एच. नंबर -45/2 नया 43, एन.बी. नंबर -493, आरआईसी- मुरवारा, - नगरपालिका मकान नंबर 17-17/3 का हिस्सा, क्षेत्र 1311.5 वर्ग फीट का हिस्सा। गाँव-मुरवारा, महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड मुरवारा कटनी, तहसील और जिला कटनी (मध्य प्रदेश) में स्थित है। बिक्री-विलेख दिनांक 23/04/2011 के अनुसार **उक्त संपत्ति निम्नानुसार है:** पूर्व में- सैयद बाबा वे, पश्चिम में- तनवीर आशिम की भूमि, उत्तर में- विक्रेता की संपत्ति, दक्षिण में- बिल्लू कवाड़ी की भूमि
2.	ऋण खाता संख्या MFLMPDSECUL000005119274 पीयूष जैन (उधारकर्ता), निवास स्थान : आओरेस मकान नंबर 333 एसपी: प्रदीप कुमार सरद कुम्बर 15 शाहपुरा खेन जबलपुर म.प्र.- 483119 सुनीता जैन पत्नी प्रदीप कुमजी (सह-उधारकर्ता), निवास : पता : मकान क्रमांक-334 वार्ड क्रमांक-13 पुराने स्टेले बैंड के पास जबलपुर मध्य प्रदेश 483119 प्रदीप कुमार जैन (सह-उधारकर्ता), निवासी पता : वार्ड क्रमांक-13, शाहपुरा (भिटोनी), मनकेंडी, पाटन स्टेट बैंक के पास शाहपुरा (जबलपुर) जबलपुर मध्य प्रदेश 483119 सभी संपत्ति का पता यहां स्थित है : मौजा शाहपुरा एन.बी नंबर-240 वार्ड नंबर 13 झंडा चौक, जबलपुर से नरसिंहपुर मेन रोड, तहसील-पाटन जिला-जबलपुर म.प्र. 483119 में स्थित घर	13.11.2025 / 03.11.2025	रु. 53,23,222.17/- (रुपये तिरपन लाख तेईस हज़ार दो सौ बाईस और सत्रह पैसे सिर्फ़) 13.11.2025 तक	ज़मीन का वह पूरा टुकड़ा जिसमें आबादी खसरा निर्मित क्षेत्र, 972 वर्गफुट वार्ड नंबर 13, झंडा चौक मौज़ा शाहपुरा एस. नं. 240 तहसील पाटन जिला जबलपुर म.प्र. **सीमा :- कागज़ों के अनुसार :** पूरब - प्रेमचंद जैन जी का घर, पश्चिम- नामदेव जी का घर, उत्तर - जबलपुर नरसिंहपुर मेन रोड, दक्षिण - गली

यदि उक्त कर्जदार, सह-कर्जदार एवं गारंटर **एमएफएल** को उपरोक्तनुसार भुगतान करने में विफल रहेगें, **एमएफएल** उपरोक्त वर्णित प्रतिभूत आस्ति का कब्जा लेने और कानून के अधीन कम्पनी को उपलब्ध अन्य कार्यवाहीं करने का हकदार होगी, जिसकी लागत और परिणामों की जोखिम के लिए उक्त कर्जदार पूर्ण रुपेण जिम्मेदार होंगे।
उक्त कर्जदार(रों), सह-कर्जदार(रों) पर सरफासी ऐक्ट की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के तहत, **एमएफएल** की पूर्व लिखित सहमति के बिना, उपरोक्त प्रतिभूति आस्ति(यों) का ब्रिकी, पट्टा या अन्य प्रकार से हस्तांरण करने के संबंध में रोक लगी है।

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
फॉर - मुथूट फिनकार्प लिमिटेड
स्थान : मध्य प्रदेश, दिनांक : 22.11.2025

कार्यालय नगर परिषद लखनादौन, जिला सिवनी (म.प्र.)

फोन नं.- 07690-240139 ईमेल cmolakhnadoan@mpurban.gov.in
NIT: 449/E-Tender/Lakhnadon/2025 DATE: 21.11.2025

//निविदा सूचना//

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है ।

टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5
2025_UAD_464088_1 दि. 21-11-2025	वार्ड क्र. 02 आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य	3 माह, 9,50,843/-	2,000/- 9,600/-	08-12-2025
2025_UAD_464089_1 दि. 21-11-2025	वार्ड क्र. 03 आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य	3 माह, 9,50,838/-	2,000/- 9,600/-	08-12-2025

शर्त - निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://www.mptenders.gov.in की वेबसाईट पर किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद लखनादौन